

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ****लखनऊ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4443 वर्ष 2026**

सुनील कश्यप

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ ।

....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: अंशुमन सिंह, विपुल सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमन सिंह के कनिष्ठ सहयोगी श्री करन श्रीवास्तव, अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन प्रार्थी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 87 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 61(2)ए भा.न्या.सं., पुलिस थाना महोली, जिला सीतापुर में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को पुलिस द्वारा पांच प्रकरणों में फंसाया गया था। एक प्रकरण में, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 432 वर्ष 2007, भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत विचारण संपन्न हो गया था और प्रकरण की कमजोर पैरवी के कारण प्रार्थी को दोषी सिद्ध किया गया था। तत्पश्चात, दोषसिद्धि के आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक एस.एल.पी. में चुनौती दी गई है, जो लंबित है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि प्रार्थी के पूर्व आपराधिक इतिहास के कारण, उसे वर्तमान प्रकरण में भी मात्र एक डायरी के आधार पर फंसाया गया है जो मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों से बरामद हुई थी। डायरी में यह उल्लेख है कि "सुनील कश्यप बबुआ लाल 10000

लिया सब्जी मण्डी में काम होने पर 2000 फिट प्लाट बबऊ देंगे"। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विरुद्ध अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी दिनांक 02.12.2025 से जेल में है और आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है तथा यह साक्ष्य-विहीन प्रकरण है। उन्होंने अंत में यह तर्क दिया कि प्रार्थी विचारण में सहयोग करेगा, अतः, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी की प्रार्थना का घोर विरोध किया। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, प्रार्थी के विरुद्ध कोई अन्य सामग्री नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने तथा जमानत आवेदन की अंतर्वस्तु के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, प्रार्थी के विरुद्ध कोई सामग्री नहीं पाई गई है। अतः, यह जमानत के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

6. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. प्रार्थी- **सुनील कश्यप** को उपरोक्त अपराध संख्या वाले प्रकरण में संबंधित न्यायालय संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) प्रार्थी ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। उपरोक्त शर्तों के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) प्रार्थी नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./269 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/भा.ना.सु.सं. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.दं.सं. की धारा 174-ए/भा.न्या.सं. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) प्रार्थी (1) प्रकरण के प्रारंभ होने, (2) आरोप विरचित किए जाने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/भा.ना.सु.सं. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना होती है, तो विचारण न्यायालय को यह छूट होगी कि वह ऐसे व्यक्तिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करे।

1. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
2. पुलिस अधीक्षक को विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्रित संपूर्ण सामग्री का परीक्षण करने का निर्देश दिया जाता है और वह प्रार्थी के संबंध में आगे की विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 12, 2026

अर्पण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।